JEEViKA
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alieviation
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
बिहार सरकार
1st Floor, Vidyut Bhawan-II, Bailey Road, Patna - 800 021; Ph. : +91-612-250 4980; Fax : +91612-250 4960; e-mail : info@brlp.in; Website : www.brlps.in

Ref. No: BRLPS/Proj-FI/497/14/Vol-VI/ 2428 Date: 22.08.2022

कार्यालय – आदेश

(सामुदायिक संगठनों के स्तर पर आवासीय ऋण की सुविधा)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के द्वारा राज्य स्तर पर स्वयं सहायता समूहों एवं उनके उच्चतर सामुदायिक संगठनों का निर्माण तथा क्षमतावर्धन किया गया है। अभी तक **10 लाख** से ज्यादा समूहों का गठन किया जा चुका है जिसके अंतर्गत लगभग **1.25 करोड़** सदस्यों को आच्छादित किया गया है। सभी स्तर के सामुदायिक संगठनों को क्रियाशील एवं स्थायित्व प्रदान करने हेतु विभिन्न तरह के **क्षमता वर्धन** तथा **जीविकोपार्जन संबंधी क्रिया-कलाप** परियोजना के द्वारा किया जाता है।

सामुदायिक संगठनों से जुड़े सदस्यों से **विचार-विमर्श के दौरान आवास हेतु ऋण** की आवश्यकता महसूस की गयी है। इस संदर्भ में जीविका परियोजना के द्वारा **सभी बैंकों के साथ संवाद** प्रारंभ कर दिया गया है। बैंकों के साथ किये गये **संवाद को आनेवाले समय में व्यापक बनाने का लक्ष्य है** ताकि भविष्य में समूह से जुड़े सदस्यों को **ग्रामीण क्षेत्र में आवास ऋण की सुविधा सुलभता से** उपलब्ध हो सके। यह बात सर्वविदित है कि समूह के सदस्यों द्वारा आवास मरम्मत एवं संबंधित जरूरतों की पूर्ति हेतु समूह से ऋण लिया जाता रहा है। इस कार्य को व्यापकता प्रदान करने की जरूरत महसूस की गयी है।

वर्त्तमान में यह महसूस किया गया है कि ऐसे सदस्य जिन्हें **प्रधानमंत्री आवास योजना** (PMAY) के अंतर्गत सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है, उन्हें अगर अतिरिक्त वित्तीय सहायता की जरूरत हो तो स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अधिकतम **50,000 रूपये (पचास हजार रूपये)** तक की राशि ऋण स्वरूप ली जा सकती है। **इस राशि को अधिकतम 5 साल के अंतर्गत 60 किश्तों में वापस करने की जरूरत होगी।** यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 30 हजार रूपये तक ली गयी ऋण की राशि को 3 साल के अंतर्गत 36 किश्तों में वापस करना होगा। 30 हजार रूपये से अधिक की राशि एवं 40 हजार रूपये तक की ऋण राशि को 4 साल के अंतर्गत 48 किश्तों में वापस करना होगा।

रोटी, कपड़ा और आवास किसी भी परिवार की न्यूनतम जरूरत है। अत: आवास हेतु सहयोग प्रदान करके सामुदायिक संगठन अपने कार्य को अधिक सशक्त तथा प्रगाढ़ कर पाएगी। इससे सामुदायिक संगठनों के स्तर पर क्रियाशीलता को और बढ़ावा दिया जा सकेगा।

प्रखंड परियोजना प्रबंधक तथा जिला परियोजना प्रबंधक को यह निदेशित है कि **सभी संकुल संघों, ग्राम संगठनों तथा स्वयं सहायता समूहों** में आवास ऋण हेतु चर्चा एक विशेष मुद्दे के तौर पर रखी जाए। सभी जरूरतमंद सदस्यों को जिन्हें **PMAY (प्रधानमंत्री आवास योजना) के अंतर्गत आवास स्वीकृत है** तथा **वे स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं, उन्हें इस मद में तत्काल सहयोग सामुदायिक संगठनों से संवाद के अनुसार ऋण राशि के रूप में प्रदान की जाए।** ऋण की राशि देते समय समूह के संबंधित सदस्य के द्वारा **''पंचसूत्र''** के अवयवों का पालन दृष्टिगोचर होना जरूरी है।

उपर्युक्त वर्णित कार्यों से सामुदायिक संगठनों के प्रति प्रगाढ़ता एवं विश्वास बढ़ेगा तथा इसे एक नयी मजबूती प्रदान की जा सकेगी। यह कार्यालय-आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

11.8.14

(राहुल कुमार, भा0प्र0से0)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,

जीविका

प्रतिलिपि :

1. सभी संकुल संघ/ सभी ग्राम संगठन
2. सभी परियोजना कर्मी